सप्तदश माला, खंड 19, अंक 6 **सोमवार, 25 जुलाई, 2022**
3 श्रावण, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 19 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

श्रीनारायण साह
उप निदेशक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 19, नौवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)
अंक 6, सोमवार, 25 जुलाई, 2022 / 3 श्रावण, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा बधाई	
(एक) विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत का पहला रजत पदक जीतने के लिए श्री नीरज चोपड़ा जी को बधाई (दो) भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हेतु श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी को बधाई	10
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 103	11-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 104 से 120	21
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	21

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 22-44

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

विवरण 45-46

मंत्री द्वारा वक्तव्य 47-48

(1) (क) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के विकास' के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 47

(ख) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित "देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता - कनेक्टिविटी और पहुँच" के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 48

(ग) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटन स्थलों की सम्भाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुँच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 48

एडवोकेट अजय भट्ट

समिति के लिए निर्वाचन

केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड 49

नियम 377 के अधीन मामले 51-75

(एक) महेसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित एफ.सी.आई. के गोदाम को दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता

श्रीमती शारदा अनिल पटेल 51

(दो) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा 52

(तीन) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

53

श्री उदय प्रताप सिंह

(चार) जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 54

(पांच) गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के खेल महाविद्यालय एवं खेल अवसंरचना स्थापित किए जाने के बारे में

डॉ. उमेश जी. जाधव 55

(छह) सर्वव्यापी रक्तदान कार्ड के बारे में

श्री तीरथ सिंह रावत 56

(सात) चाय एवं सिन्कोना बागान कामगारों को प्रजा पट्टा भूमि अधिकार प्रदान किए जाने के बारे में

श्री राजू बिष्ट 57

(आठ) झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अत्यल्प वर्षा के कारण संकटग्रस्त किसानों को सहायता प्रदान किए जाने के बारे में

श्री सुनील कुमार सिंह 58

(नौ) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थराद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल 59

(दस) गुजरात के आनंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल फ्लाईओवरों के निर्माण में तेजी लाने के बारे में

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) 60

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ में 'जल जीवन मिशन' के कार्यान्वयन के बारे में

श्री अरूण साव 61

(बारह) मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास योजना और सौभाग्य योजना के लाभों को प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक 62

(तेरह) उत्तर प्रदेश में कम वर्षा के कारण संकटग्रस्त किसानों को मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल 63

(चौदह) उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' 64-65

(पंद्रह) पूर्व तटीय नहर का पुनरुद्धार किये जाने के बारे में

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी 66-67

(सोलह) कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के बारे में

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी 68

(सत्रह) थल सेना की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की आवश्यकता के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 69

(अठारह) बिहार में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं कार्य दिवसों में वृद्धि किये जाने के बारे में

श्री कौशलेन्द्र कुमार 70

(उन्नीस) भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में

श्रीमती मंजुलता मंडल 71

(बीस) बिहार में कोरोना के कारण हुई मौतों के बारे में

श्री चन्दन सिंह 72

(इक्कीस) अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने के बारे में

डॉ. ए. चेल्लाकुमार 73

(बाईस) नेमोम कोचिंग/सैटेलाइट टर्मिनल परियोजना के बारे में

डॉ. शशि थरूर 74

(तेईस) मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 75

नियम 374 (2) के अंतर्गत सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन 76

सदस्यों के निलंबन के बारे में प्रस्ताव 77-78

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार 25 जुलाई, 2022 / 3 श्रावण, 1944(शक)

लोक सभा अपराह्न दो बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा बधाई

(एक) विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत का पहला रजत पदक जीतने के लिए श्री नीरज चोपड़ा जी को बधाई

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि श्री नीरज चोपड़ा जी ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीतकर एक महान उपलब्धि हासिल की है। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में किसी भारतीय एथलीट द्वारा जीता गया यह पहला रजत पदक है। इस जीत से पूरे देश में उत्साह तथा उमंग का वातावरण है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा जी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री नीरज चोपड़ा जी की यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरक सिद्ध होगी।

(दो) भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हेतु श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को बधाई

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हम सब देशवासियों को गर्व है कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण की है। इससे देश में समाज के सभी तबकों के अंदर नई ऊर्जा, संचार एवं नया उल्लास है। इससे हमारे जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े वर्ग एवं समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मैं सदन की ओर से भी उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

———————

अपराह्न 2.03 1⁄2 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-101, श्रीमती रीती पाठक जी।

… (व्यवधान)

अपराह्न 02.04 बजे

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(प्रश्न संख्या 101)

श्रीमती रीती पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व की पुरातन सभ्यता में विकसित हुआ है। … (व्यवधान) चाहे वह जीवन सभ्यता हो, भाषा या लिपि हो, रचना या धर्म ग्रंथ हो, स्मारक, धर्मस्थल, परम्परा हो या देश के अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गों की जीवन शैली हो, ये हमारी अमूल्य धरोहर है। लेकिन, आधुनिकीकरण की इस चकाचौंध और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति युवाओं के आकर्षण को देखते हुए हमें ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया है।…(व्यवधान) 'नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलेपमेंट एंड आगुमेन्टेशन योजना', 'प्रसाद' और 'स्वदेश

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

दर्शन योजना' इसका जीवंत उदाहरण है।...(व्यवधान) लेकिन सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए भारतीय विरासत संस्थान और विरासत पाठ्यक्रम की हमें अत्यंत आवश्यकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या हमारी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है? ...(व्यवधान) अगर की है, तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इसका पाठ्यक्रम क्या है? इसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी?... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने से संबंधित है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 में बजट घोषणा हुई थी, जिसके आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की गई है।... (व्यवधान) इसके पहले नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इस काम को देखा करती थी, लेकिन वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के बाद हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की है। उसके तहत तीन तरह के कोर्सेज़ आयोजित किए जाते हैं।... (व्यवधान) हिस्ट्री ऑफ आर्ट में कोर्सेज़ आयोजित किए जाते हैं। म्यूजियोलॉजी में कोर्सेज़ आयोजित किए जाते हैं। कंजर्वेशन में कोर्सेज़ आयोजित किए जाते है।... (व्यवधान) ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं, पीएचडी भी होती है, इसमें डिग्री भी दी जाती है।... (व्यवधान)

जहां तक माननीय सदस्या ने कहा है कि उनके क्षेत्र में ऐसे इंस्टीट्यूट कब तक खोलने का विचार है, नेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट खोला गया है।... (व्यवधान) एक तरह से इसका जो प्रभाव पड़ेगा, वह पूरे क्षेत्र में पड़ेगा और माननीय सदस्या के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा।... (व्यवधान) वहां के भी कुछ स्टुडेन्ट्स हैं। वे म्यूजियोलॉजी, कंजर्वेशन और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में हैं, आईजीएनसीए, एएसआई, एनआरएलसी, स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज़, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि उनका लाभ माननीय सदस्या के क्षेत्र को भी मिलेगा।... (व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ एक और विषय पर बात करना चाहती हूं। मंत्री महोदय जी, मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में क्या मानव संसाधन की कमी है? यदि है, तो इसको आगे विस्तार से व्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है कि संस्कृति के बचाव या हेरिटेज सेक्टर में क्या मानव संसाधन की कमी है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है।... (व्यवधान) न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर/एजुकेशनल लेवल पर कल्चर को प्रिज्योर करने का प्रयास किया जाएगा।... (व्यवधान) इसलिए आगे आने वाले समय में कहीं पर भी कोई मानव संसाधन की कमी नहीं आने दी जाएगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जिस विषय पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, सरकार उस विषय पर चर्चा करने को तैयार है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड दें। नहीं तो, मेरे पास सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए। सरकार चर्चा करने को तैयार है। जाइए, जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। मैं चर्चा कराता हूं। आप लोग जाइए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप यहां पर तख्तियां दिखाने या नारेबाजी करने आए हैं, या फिर चर्चा करने के लिए आए हैं? आप चर्चा कीजिए। यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। आपका यह तरीका ठीक नहीं है।

… (<u>व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: महोदय, बालागढ़ विधानसभा में आने वाले हुगली जिले का जिरात डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म स्थान है। …(*व्यवधान*) वर्तमान में, यह स्थान जर्जर स्थिति में है। … (*व्यवधान*) राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है … (*व्यवधान*) मेरा प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूल घर को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। … (*व्यवधान*)

इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक इमारत के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जहां आम पाठक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों, आदर्शों और भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं।

इसलिए, मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; यदि हां, तो क्या योजना है? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।… (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह मूल प्रश्न से सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं।... (व्यवधान) उनसे जुड़ी हुई यादें और उनसे जुड़े हुए स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, उसके लिए मैं इनसे इसके बारे में चर्चा कर लूंगा और उनके जो सुझाव होंगे, उनके आधार पर हम मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई करेंगे।… (व्यवधान) हम

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई यादें या उनके स्थानों के संरक्षण का कार्य करने का प्रयास करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मारगनी भरत - उपस्थिति नहीं।

श्री रितेश पाण्डेय - उपस्थिति नहीं।

श्री मलूक नागर ।

... (व्यवधान)

श्री मलूक नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हस्तिनापुर भी अयोध्या की तरह ही है।... (व्यवधान) वहां के लिए जो बजट आपने दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।... (व्यवधान) आप उस बजट को आगे भविष्य में बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके अलावा हरिद्वार से कावड़िए कावड़ लेकर चल रहे हैं, जो कि कल-परसों तक के लिए एक बहुत ही ज्वलंत और जरूरी मुद्दा है, चूँकि यह सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं इसे मेन्शन करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) जौली से लेकर किठौर तक नहर के किनारे-किनारे सड़क बहुत खराब है, जिससे कावड़ियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं इसलिए इस विषय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, यह मेरठ जिले के हस्तिनापुर से संबंधित है। हस्तिनापुर में काफी काम हुआ है और मैं माननीय सदस्य को यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि हम वहां पर जल्दी ही विजिट करेंगे और आपके जो भी सुझाव होंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।... (व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी: अध्यक्ष महोदय, बिहार को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है।... (व्यवधान) माता सीता जी की प्राकट्य स्थली से लेकर चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर जी सहित न जाने कितनी विभूतियों को यहां की मिट्टी ने जन्म दिया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ाने

में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।... (व्यवधान) इनसे जुड़ी एवं पुरातत्व महत्व की वस्तुएं तथा अवशेष बिहार के कई जिलों में अब भी विद्यमान हैं।... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार इनके संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या बिहार की ऐतिहासिक धरती पर भी कोई भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का विचार रखती है? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इससे सीधा संबंधित नहीं है।... (व्यवधान) चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ हेरिटेज ऑल इंडिया लेवल पर काम करता है।... (व्यवधान) यह बिहार के लिए भी काम करेगा और उत्तर प्रदेश के लिए भी काम करेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गजानन कीर्तिकर - उपस्थित नहीं।

श्रीमती मंजुलता मंडल - उपस्थित नहीं।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (<u>व्यवधान)</u>

(प्रश्न संख्या 102)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): (क) से (ङ): अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. आलोक कुमार सुमन - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 103, सुश्री दिया कुमारी।

(प्रश्न संख्या 103)

[अनुवाद]

सुश्री दिया कुमारी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी) शुरू करने और शिक्षा क्षेत्र में बहुत जरूरी सुधार लाने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ... (*व्यवधान*)

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एन.ए.सी) एन.ई.पी के अधीन मान्यता की प्रक्रिया की देखरेख करेगी। ... (*व्यवधान*) इससे वास्तव में यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्यायन की प्रक्रिया का अनुपालन करना आसान हो जाएगा और ज्यादा संस्थानों को औपचारिक रूप से मान्यता दी जा सकेगी। ... (*व्यवधान*)

महोदय, आपके द्वारा, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय देने की योजना कैसे बना रही है कि उच्च शिक्षा संस्थान स्व-शासन के मानदंडों का पालन करें और देश में शिक्षा के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करें। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि इस सदन की मर्यादा रखना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी माननीय सदस्य तख्ती लेकर आएगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, उसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आप इसे सहृदयता मत समझिए। यह देश के लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी मर्यादा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर सदन की जितनी मर्यादा रखेंगे, उतना ही सदन के प्रति और आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन आपका तौर-तरीका ठीक नहीं है।

… (<u>व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जी नहीं।

… (*व्यवधान*)

डॉ. सुभाष सरकार: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। … (*व्यवधान*) हमारी सरकार ने 2015 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रगतिशील तरीके से विचार करना शुरू कर दिया है। … (*व्यवधान*) यहाँ तक कि 2017, में भी मूल्यांकन गुणात्मक मैट्रिक्स के आधार पर किया गया था। 2017 में सभी संस्थानों और कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार की योजना के साथ संशोधित मान्यता ढांचा बनाया गया था। … (*व्यवधान*) हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्थानों की मान्यता और गुणवत्ता के बारे में कई अनुच्छेद में लिखा गया है ताकि उन्हें स्वायत्तता मिल सके। मान लीजिए, यह एक मूल्यांकन है। … (*व्यवधान*) यदि उन्हें 3.01, से ज्यादा मिलेगा तो उन्हें स्वायत्तता मिल जायेगी। ऐसे में हमारी सरकार शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए काफी उत्सुक है। एन.ए.ए.सी ने पहले से ही रूपरेखा के सात मानदंड शामिल कर

लिए हैं। शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन; अनुसंधान, नवाचार और विस्तार; बुनियादी ढाँचा और सीखने के संसाधन; छात्र समर्थन और प्रगति; शासन, नेतृत्व और प्रबंधन; और संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएँ-ये पाठ्यक्रम संबंधी पहलू हैं। (*व्यवधान*) 1 जून, 2022, एन.ए.ए.सी ने यूनिफाइड एफिलिएटेड कॉलेज पुस्तिका लॉन्च की है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मदद होगी। इस पुस्तिका में, गुणवत्ता से समझौता किए बिना मेट्रिक्स की संख्या 96 से घटाकर 55 कर दी गई है और धीरे-धीरे भागीदारी ज्यादा से ज्यादा की जा रही है... (*व्यवधान*)

सुश्री दिया कुमारी :मैं माननीय मंत्री जी को मेरे प्रश्न का विस्तार से उत्तर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। ... (*व्यवधान*)

साथ ही, मान्यता मिलने के बाद एक निगरानी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार कॉलेज या विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त करने के बाद उन मानकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पालन नहीं करते हैं जो उन्हें देनी चाहिए। ... (*व्यवधान*)

इसलिए, किसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी हो कि वे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के दिशानिर्देशों और मानकों का पालन करते हैं जो हमारी सरकार प्रदान करना चाहती है। ... (*व्यवधान*)

डॉ. सुभाष सरकार: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और साथ ही, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आत्म-मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ... (*व्यवधान*) एन.ए.ए.सी, संस्थानों की निगरानी भी करती है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं तीन बजे चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हूं।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो तीन बजे के बाद आपको तख्तियां और नारेबाजी करने का अधिकार इस सदन से बाहर मिलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : तीन बजे के बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर मिलेगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता चाहती है कि सदन चले। इसलिए मेरा आग्रह है और मैं अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि तीन बजे के बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, उनको तीन बजे के बाद पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद।

… (व्यवधान)

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर[2]

(तारांकित प्रश्न सं 104 से 120
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 3.01 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर एक मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेंद्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 3.01 1⁄2 बजे

इस समय कुमारी राम्या हरिदास, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, एडवोकेट ए.एम. आरिफ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 3.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर - 2. राव इंद्रजीत सिंह जी।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.082 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084 में प्रकाशित में हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/ जी.एन./आर.ई.जी.085 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.086 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और जांच) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.087 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.088 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.089 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.090 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7186/17/22]

(2) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अधीन निधि (संशोधन) नियम, 2022 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 7187/17/22]

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर – 3. श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पहचानविहीन आयकर प्राधिकारियों का न्यायाधिकार क्षेत्र योजना, 2022 जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1400(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 229(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर वंचनीय आंकलन का ई-आंकलन योजना, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1466(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) पहचानविहीन जांच या मूल्यांकन योजना, 2022 जो 30 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1468(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2022 जो 04 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) ई-विवाद समाधान योजना, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1642(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठवां) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 307(अ) में प्रकाशित हुए थे और जिसका शुद्धिपत्र 25 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 09 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 346(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) पहचानविहीन शास्ति (संशोधन) योजना, 2022 जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2425(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 2426(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 118(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 2735(अ) जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 05 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 16 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7188/17/22]

(2) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपाबंधों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1440(अ) जो 29 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7189/17/22]

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (श्री गुरू तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 295 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (श्री जवाहर लाल दर्डा की जन्म-शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के 175 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 27 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 478 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिक्का निर्माण (राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 04 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 508 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7190/17/22)]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 249(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क में

कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 278(अ) जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 40/2015-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 501(अ) जो 01 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उनमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 247(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं. 25/2021-सीमा शुल्क को संशोधित करना है ताकि भारत-मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार मॉरिशस से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में कर छूटों को सघन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 297(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से अस्थायी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 328(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के संबंध में प्रशुल्क छूट के पहले भाग को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 326(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जिनका आशय विभिन्न सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 327(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा-शुल्क में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 376(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में संकलित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 378(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि इस्पात और प्लास्टिक उद्योग द्वारा प्रयुक्त कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर आधारभूत सीमा-शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 379(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि एंथ्रेसाइट/कोकिंग कोल पर कृषि और

अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 380(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि और उद्ग्रहण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 381(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 392(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्रूड सूरजमुखी तेल और क्रूड सोयाबीन तेल, दोनों के लिए 20 एलएमटी प्रति वित्त वर्ष प्रति खाद्य तेल का वैश्विक प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) प्रदान करना है ताकि ऐसे आयातों को 25 मई, 2022 से प्रभावी 2 वर्षों की अवधि के लिए, जो वित्त वर्ष 2022-23 है, आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसरंचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 428(अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि अन्तिम मेगा पावर स्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि 120 माह से 156 माह तक और प्रावधिक मेगा पावर परियोजनाओं के मामले में सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा की वैधता की अवधि को

126 माह से 162 माह तक विस्तारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 500(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम और क्रूड और एटीएफ को उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उद्ग्राह्य अतिरिक्त सीमा-शुल्क, जो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के समकक्ष है, से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 486(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण पर बीसीडी दर को 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत बढ़ाकर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 487(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण आयात को समाज कल्याण अधिभार से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 488(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पुनर्भरण योजना के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर प्रयोज्य बीसीडी छूट की दर को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.85 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 489(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-यूएई सीईपीए के टीआरक्यू के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर बीसीडी दर को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 509(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 अक्तूबर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना

और विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7191/17/22)]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) संशोधन नियम, 2017 जो 23 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1442(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 जो 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 491(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 492(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 493(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची को संशोधित करके क्रूड पेट्रोलियम और एटीफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 494(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जिसका पिछले वित्त वर्ष में उक्त वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन 2 मिलियन बैरल से कम था, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 495(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा पिछले वित्त वर्ष में उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम से अतिरिक्त है, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 496(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल पर प्रयोज्य शुल्कों जैसे आधारभूत उत्पाद शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर तथा एटीएफ पर आधारभूत उत्पाद शुल्क से, निर्यात के लिये क्लियर किये जाने पर, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 497(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एविएशन टर्बाइन ईंधन को पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने के मामले के अलावा, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 498(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, सड़क और अवसरंचना उपकर की दरें विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 499(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) को संशोधित करना है ताकि निर्यात के लिये क्लियर की गयी वस्तुओं के लिए उक्त अधिसूचना के उपबंधों को अपवर्जित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 377(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में लिए जा रहे सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) उपर्युक्त (5) की मद सं. (1) से (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7192/17/22]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.246(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बांग्लादेश से आयातित जूट उत्पादों पर दिनांक 05.01.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सी.शु.(एडीडी) द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 अगस्त, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.321(अ) जो 28 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "एन,एन'-डाइसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडिमाइड (डीसीसी)" पर 27 अप्रैल, 2027 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.350(अ) जो 11 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 21/2017-सीमा-शुल्क(एडीडी) को निरस्त करना है ताकि चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एमॉक्सीलीन, जिसे एमॉक्सीलीनट्राइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है पर एडीडी के उद्ग्रहण को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 374(अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से ''पॉलीयूरेथेन लेदर जिसमें पॉलीयूरेथेन के साथ एक तरफ या दोनों तरफ लेपित किसी भी प्रकार का कपड़ा शामिल है'', के आयात पर 19 मई, 2027 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 387(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ड्यूटी टेबल पर बदलाव के लिए 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है। उपरोक्त अधिसूचना के तहत चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''डेकोर पेपर'' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 388(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या

वहां से निर्यातित ''सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर'' 'के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 403(अ) जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य या थाईलैंड से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''1500 श्रेणी और 1700 श्रेणी के स्टाईरीन बुटेडाईन रबर (एसबीआर)" के आयात पर 30 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 31 अक्टूबर, 2022 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 406(अ) जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बंग्लादेश से आयातित जूट उत्पादों पर 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 30 नवम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 417(अ) जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क आगे जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.430(अ) जो 8 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ''नये/अप्रयुक्त न्यूमेटिक

रेडियल टायर्स, चाहे वे ट्यूब सहित हों या नहीं, और/या रबर फ्लैप (जिसमें ट्यूबलेस टायर्स भी शामिल हैं), जिनका नार्मल रिम डायाकोड 16'' से अधिक हो, जो कि बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त होते हैं, के आयात पर 18 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 451(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'फ्लोरो बैकशीट', पारदर्शी को छोड़कर, पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 323(अ) जो 18 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''कॉपर ट्यूबों और पाइपों'' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 414(अ) जो 2 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन पर लगाए गए प्रतिकारी शुल्क के कथित वंचन के संबंध में अपवंचन जांच के पूरा होने तक, थाईलैंड से भारत में निर्यात किए गए सैकरीन का अनंतिम निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7193/17/22]

(8) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 236(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध

में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 237(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिये ईंटों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिये 3 प्रतिशत की रियायती दर का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 242(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 10/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 243(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 354(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 355(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

थे तथा जिनका आशय क्यूआरएमपी योजना के अधीन आने वाले करदाताओं द्वारा अप्रैल, 2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में कर के भुगतान की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 397(अ) जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये 01.05.2022 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिये धारा 47 के अंतर्गत विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 3070(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2022 की धारा 110 तथा 111 के खण्ड (ग) के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 513(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक विवरणी फाइल करने की आवश्यकता से 2 करोड़ रूपये तक के एएटीओ वाले करदाताओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 514(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 31.07.2022 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 515(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म

जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 516(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट अनुपालनों की तिथियों को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 517(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (पहला संशोधन, 2022) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7194/17/22)]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 238(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 239(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईंटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 6% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7195/17/22)]

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 240(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 241(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईंटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 3% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 244(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 02/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 245(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7196/17/22]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ़ेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ़ेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7197/17/22]

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय स्पीकर साहब ने बहुत नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि यहां तख्तियां नहीं लाना है। अगर कोई तख्तियां लेकर आते हैं, तो उन लोगों पर ऐक्शन लिया जाएगा, ऐसा माननीय स्पीकर साहब ने कहा है।…(व्यवधान) फिर भी ये तख्तियां ला रहे हैं।…(व्यवधान) इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो माननीय स्पीकर साहब ने इस सदन में कहा है, माननीय स्पीकर साहब ने इस सदन में जो आदेश दिया है, उसका उल्लंघन हो रहा है।... (व्यवधान) यह माननीय अध्यक्ष के निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन में तख्तियां लाने वाले माननीय सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। … (*व्यवधान*)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता सन्नियम

और पद्यति) संशोधन विनियम, 2022 जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनसीईटी-रेग/012/13/202-रेग.सेक.-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 7198/17/22]

———

<u>अपराह्न 3.03 बजे</u>

<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति</u>

विवरण

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण |

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी

स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

———

अपराह्न 3.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के विकास' के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देता हूं :

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 7183/17/22

(ख) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुंच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।[3]**

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देता हूं :

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुंच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ग) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटन स्थलों की सम्भाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुँच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देता हूं :

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता- कनेक्टिविटी और पहुंच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

———————

[3]* सभा पटल पर रखे गये और ग्रंथालय में भी रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 7184/17/22 तथा 7185/17/22

अपराह्न 3.05 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

[अनुवाद]

संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूँ:-

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प सं. टी-17019/7/2019-ईई, दिनांक 19 मई, 2022 के पैराग्राफ 9 के उपबंध के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प सं. टी-17019/7/2019-ईई, दिनांक 19 मई, 2022 के पैराग्राफ 9 के उपबंध के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय स्पीकर महोदय ने कुछ कहा है, कृपया उसका संज्ञान लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीट पर वापस जाइए। कृपया, पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। माननीय स्पीकर महोदय ने आप लोगों को बार-बार आश्वस्त किया है।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 3.07 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मद सं 9 - नियम 377 के अधीन मामले।

श्रीमती शारदा अनिल पटेल बोलेंगी ।

(एक) महेसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित एफ.सी.आई. के गोदाम को दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महेसाणा में मोढेरा सर्किल से देदियासन जाने वाले सड़क पर एफसीआई का मुख्य गोदाम है। गोदाम से हर रोज गांधीनगर, पाटन और महेसाणा जैसे बड़े जिलों को बड़ी मात्रा में अनाज जाता है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत गरीब लोगों को मुफ्त राशन बांटने के लिए इस्तेमाल होता है। यह गोदाम पुराना है। शहर का तेजी से विकास होने की वजह से यह गोदाम अब शहर के बीच आ गया है। यह इलाका आवासीय और औधोगिक क्षेत्र है। यह शहर की मुख्य सड़क होने की वजह से इस पर बहुत यातायात रहता है और यह गोदाम इसी सड़क पर है। इसलिए हर रोज सुबह से शाम गोदाम से अनाज लेने और अनाज का स्टॉक करने के लिए इस सड़क पर ट्रकों की लम्बी लाइनें लग जाती हैं। रोड पर ट्रकों की वजह से कई बार अनहोनी होने की आशंका के चलते विस्तार के लोगों को हमेशा डर लगा रहता है। सड़क के आस-पास के छोटे व्यापारी और नौकरी करने वालों को यातायात से काफी परेशानियाँ होती है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि महेसाणा में स्थित एफ.सी.आई.गोदाम का स्थान बदल कर इसे शहर से बाहर ले जाया जाये और उसके लिए ज़रूरी कदम उठाएं जाए।

माननीय सभापति : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल ।

… (व्यवधान)

(दो) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और भारत सरकार के शेड्यूल-5 में आता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, ईएमआरएस की योजना पर अकल्पनीय कार्य किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर में झाड़ोल, लसाडिया, धरियावाद, सलूम्बर, खैरवाड़ा, गोगुंदा में एकलव्य आदर्श विद्यालय खोले गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से देश में नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों जैसे प्रिंसिपल, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं, उसी तर्ज पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भी केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती की जाए न कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्योंकि इस योजना में शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार खर्च कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी और देश की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।

(तीन) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुख्य विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

1. कोरोना काल के पूर्व खिरकिया सहित आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों पर नागपुर-भुसावल सुपरफास्ट ट्रेन का स्टापेज था, लेकिन कोविड के बाद एवं क्षेत्रीय जनों की लगातार मांग करने के बाद भी अब तक इसका पुन: आवागमन शुरू नहीं किया गया।
2. 22191/22192 जबलपुर-इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टापेज करेली स्टेशन पर किए जाने के संबंध में अनुरोध है।
3. 11071/11072 कामायनी एक्सप्रेस का स्टापेज (बनापुरा) सिवनी मालवा स्टेशन पर किए जाने के संबंध में।
4. 11273/11274 इटारसी से कटनी शटल एक्सप्रेस को कोविड काल में बंद कर दिया है, जिसे इटारसी से पुन: प्रारम्भ किए जाने के संबंध में अनुरोध है।

(चार) जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम): सभापति महोदय, बिहार के ग्यारहवें मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर आजीवन समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संघर्षरत रहे। ग्रामीण पृष्ठ भूमि से आने वाले महान सपूत ने सामाजिक न्याय के लिए शासन के माध्यम से कई सफल प्रयोग किए। अपनी कालेज की पढ़ाई को छोड़कर वे 'अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन' में कूद पड़े और 26 माह तक उन्हें जेल यातना दी गई। स्वतंत्र भारत में भी टेल्को कामगारों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें जेल यातना दी गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्पूर्ण क्रांति के अग्रणी सेनानी, महान समाजवादी चिंतक एवं गुदड़ी के लाल थे। एक ईमानदार शासक के रूप में उनकी प्रसिद्धि प्रेरणादायक है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त किया, जिससे बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि के वंचित वर्ग के छात्र न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल कर सकें और आगे उन्हें आरक्षण के माध्यम से लोक सेवाओं में भागीदार बनाएं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर सरीखे अप्रतिम राजनेता, पारदर्शी एवं ईमानदार व्यक्तिव के मुख्यमंत्री की रिक्ति को नहीं भरा जा सकता। अत: मेरा विशेष अनुरोध है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को उचित सम्मान देने एवं उनकी स्मृतियों को ताजा रखने हेतु उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से शीघ्र विभूषित किया जाए।

(पांच) गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के खेल महाविद्यालय एवं खेल अवसंरचना स्थापित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. उमेश जी.जाधव(गुलबर्गा): कलबुर्गी मंडल मुख्यालय और सबसे तेजी से उभरता हुआ शैक्षणिक केंद्र होने के कारण, यादगीर और बीदर जैसे नजदीकी जिले के छात्र उच्च अध्ययन के लिए कलबुरगी को अपने केंद्र के रूप में चुनते हैं। कलबुरगी में दो विश्वविद्यालय हैं और यह कर्नाटक के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का केंद्र है। कलबुरगी में तीन इंजीनियरिंग कॉलेज, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, ई.एस.आई.सी मेडिकल कॉलेज, एक निजी मेडिकल कॉलेज, एक ललित कला कॉलेज, कई फार्मेसी कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी हैं। लेकिन उपरोक्त सभी संस्थानों में खेल केंद्र की कमी है, कलबुर्गी में खेल शिक्षा के महत्व और लाभों को हर तरह से महसूस किया जा रहा है। कलबुर्गी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की तीव्र मांग की जा रही है। इसलिए, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लोगों के फायदे के लिए कलबुर्गी में एक राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है, साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग 300 बिस्तरों वाले आवासीय छात्रावास के निर्माण की भी सख्त आवश्यकता है।

खेलो इंडिया के अधीन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मांगें हैं:

1. इस क्षेत्र में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक हॉकी टर्फ कोर्ट का निर्माण।

2. कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों के आयोजन के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देश्यीय इनडोर गेम्स हॉल का निर्माण।

3. उक्त कोर्ट के लिए सार्वजनिक गैलरी का निर्माण।

[हिन्दी] **माननीय सभापति:** श्री धर्मवीर जी- उपस्थित नहीं।

(छह) सर्वव्यापी रक्तदान कार्ड के बारे में

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): माननीय सभापति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर के लिए खून कितना आवश्यक है। इसकी किसी भी कारण से होने वाली कमी हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा करती है। ... (व्यवधान) प्रत्येक हॉस्पिटल में इसकी निरंतर मांग रहती है, विशेषकर ट्रॉमा सेंटर, ऑपरेशन थियेटर और डायलिसिस में। जब भी किसी रोगी को इसकी आवश्यकता होती है तो हॉस्पिटल की ओर से इसकी मांग की जाती है और रोगी के परिजन ब्लड डोनेट करते हैं। देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं किन्तु जब वे अपने कार्ड को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करना चाहते हैं तो अनेक हॉस्पिटल यह कह कर उसे स्वीकार नहीं करते हैं कि यह कार्ड उनके यहां का नहीं है। ... (व्यवधान) ऐसे में रोगी के परिजनों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों को एक यूनिवर्सल ब्लड डोनेशन कार्ड जारी करे जो प्रत्येक हॉस्पिटल एवं देश के प्रत्येक कोने में मान्य एवं स्वीकार्य हो तथा इसे लागू कराने हेतु सख्त नियम बनाएं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट जी,

... (व्यवधान)

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद सर। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

(सात) चाय एवं सिन्कोना बागान कामगारों को प्रजा पट्टा भूमि अधिकार प्रदान किए जाने के बारे में
जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति का 171वां प्रतिवेदन, जिसका शीर्षक "विशेष रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दे" है जिसमें दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र में चाय बागान को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्याएं पाई गई हैं, जिनमें से प्रमुख हैं प्रजा पट्टा को उन श्रमिकों के अधिकारों से वंचित करना जो पीढ़ियों से इन बागानों में मेहनत कर रहे हैं। मैं उद्धृत करता हूं, “समिति चाय श्रमिकों की दुर्दशा और अभाव को देखकर निराश है। आजादी के सात दशकों के बावजूद इस क्षेत्र में चाय श्रमिकों को उनके बुनियादी भूमि अधिकारों से अलग करने की सामंतवादी व्यवस्था को देखना निंदनीय है। मैं प्रतिवेदन से आगे उद्धृत करता हूं, "न केवल रहने के लिए बल्कि अपने मृत परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए भी अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए चाय श्रमिकों का निरंतर संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।"

समिति ने इसलिए सिफारिश की है कि "एक विशिष्ट कानून बनाए जाने की आवश्यकता है जो छोटे और बिना अधिकार के रहने वाले चाय श्रमिकों के उनकी पैतृक भूमि और संसाधनों के अधिकारों और स्वामित्व को मान्यता दे।"

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से एक कानून बनाने का आग्रह करता हूँ जो चाय और सिनकोना बागान श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम (2006) की तर्ज पर प्रजा पट्टा की गारंटी देगा।

(आठ) चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अत्यल्प वर्षा से परेशान किसानों को सहायता प्रदान किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदय, वर्तमान हालात में झारखण्ड राज्य में सुखाड़ की स्थिति बन गई है। पिछले 10 साल में जुलाई माह में सबसे कम बारिश इस बार हुई है, मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 17 जिलों में सामान्य से 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। पूरे राज्य में भी सामान्य से करीब 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है। राज्य में अब तक 391 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, इसकी तुलना में मात्र 192.9 मिमी ही बारिश हुई है। एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इस कारण धान के बिचड़े पर संकट है। कहीं-कहीं छुटपुट रोपाई शुरू हई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के चतरा, लातेहार व पलामू जिलों से किसी में भी अब तक रोपाई शुरू नहीं हो पायी है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ रही हैं। सबसे खराब स्थिति मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिलों चतरा, लातेहार, पलामू तथा अन्य जिलों हजारीबाग, गढ़वा, रामगढ, देवघर, गुमला, कोडरमा, गोड्डा, लोहरदगा तथा जामताड़ा आदि जिले की है।

मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से मांग है कि केन्द्रीय स्तर व राज्य स्तर से टीम भेजकर प्रत्येक जिले की सुखाड़ की स्थिति का आंकलन किया जाये तथा तत्काल किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष सहायता व वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए तैयारी करवाई जाये। किसानों को फसल बीमा का लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, बीज वितरण, बुआई यंत्र उपलब्ध कराना तथा सिंचाई की वैकल्पिक सुविधा जैसे सोलर वाटर पम्प, लम्बित सिंचाई योजनाओं से खेती के लिए जलापूर्ति, स्थानीय नदियों के पानी को खेती के लिए उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कार्य योजना लागू करें। धन्यवाद।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप कृपया उन्हें सुनें। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

श्री परबतभाई पटेल जी।

… (व्यवधान)

(नौ) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थराद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है । इस जिले में 14 तहसील हैं और नवोदय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि गुजरात में नवोदय विद्यालय संसाधनों के मामले में बेहतर स्थिति में है। इसलिए मेरे मत क्षेत्र के निवासी मुझसे निरंतर मांग करते रहते हैं कि जिले में एक और नवोदय विद्यालय खुलवा दिया जाये ।

महोदय, ज्ञात हो कि अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक नवोदय विद्यालय है और जिला बड़ा होने की वजह से एक बड़ा वर्ग नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह रहा है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि पहले से स्थित नवोदय विद्यालय जो दांतीवाडा में है, वो थराद से 100 किमी की दूरी पर है। यदि थराद में नवोदय विद्यालय खोला जाये तो सरहदी क्षेत्र के निवासियों के बच्चों और यहाँ के किसानों के बच्चों को नवोदय विद्यालय का उचित लाभ मिल सकेगा।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के थराद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना शीघ्र करवाई जाये जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र आगे बढे और यहाँ के विद्यार्थियों को उचित लाभ मिल सके। धन्यवाद।

(दस) गुजरात के आनंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल फ्लाईओवरों के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): महोदय, जनहित की दृष्टि से मेरे मत विस्तार आनंद (गुजरात) में उमरेठ तालुका अंतर्गत आनंद-गोधरा रेलवे लाइन पर भालेज चौराहा रेलवे फ्लाईओवर, पेटलाद तालुका में पेटलाद फ्लाईओवर और आनंद तालुका अंतर्गत समारखा फ्लाईओवर आनंद लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए यातायात सुविधा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भालेज चौराहा रेलवे फ्लाईओवर बनना वर्ष 2018 में शुरू हुआ, पर 1 से 2 दिन में ही बंद हो गया और अभी तक शुरू नहीं हो पाया। पेटलाद फ्लाईओवर आधा बनकर वर्षों से बंद है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समारखा चौराहा फ्लाईओवर के निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने हेतु संबंधित अधिकारी को आदेशित करने की आवश्यकता है। अगर ये तीनों ही फ्लाईओवर बन जाते हैं तो मेरे मत विस्तार आनंद में ट्रैफिक की सुविधा जहां सुचारु होगी, वहीं जाम जैसी समस्याओं के निराकरण में गेम चेंजर साबित होंगे।

मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि तीनों फ्लाईओवर के निर्माण हेतु व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें। ... (व्यवधान)

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ में 'जल जीवन मिशन' के कार्यान्वयन के बारे में

श्री अरुण साव (बिलासपुर): महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अति महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है तथा काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है।

अतः मैं आपके माध्यम से जलशक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें। ... (व्यवधान)

(बारह) मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास योजना सौभाग्य योजना के लाभों को प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी (मध्य प्रदेश) के कुसमी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मझिगवा, भदौरा व रूंदा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित है, इनके विस्थापन की प्रक्रिया की शुरुआत 21 फरवरी, 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश से हुई एवं 13 अप्रैल, 2017 को विस्थापन की घोषणा हुई। किन्तु उचित मुआवजा राशि न मिलने के कारण ग्रामीणजन विस्थापित होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वर्षों से उन्होंने इस गाँव में बहुत कुछ बनाया है– पेड़, वृक्ष, घर आदि परंतु इस राशि से कहीं जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती। शासन की कुछ योजनाओं का लाभ तो ग्रामवासियों को मिल रहा है परंतु केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास व सौभाग्य योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। ये तीनों पंचायतें आज भी विद्युत विहीन हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना तो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, किन्तु इन योजनाओं से विस्थापित पंचायतों के निवासी वंचित हैं। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त विस्थापित ग्राम पंचायतों में पुनः मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाने की कृपा करें।... (व्यवधान)

(तेरह) उत्तर प्रदेश में कम वर्षा के कारण संकटग्रस्त किसानों को मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अभी तक बहुत कम बारिश होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया है। किसानों के समक्ष खरीफ की फसल की रोपाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है। बारिश न होने के कारण किसानों के खेत-खलिहान और जमीन सूख गए हैं। किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए पंपिंग-सेट एवं ट्यूबवेल से खेत को भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन बारिश ना होने के कारण नर्सरी के पौधे पीले पड़ गए हैं। प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल एवं नहरों को पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया है, लेकिन वह नाकाफी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 1 जून से 15 जुलाई के बीच कुल 77.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब तक सामान्य बारिश 220 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। अत: इस अवधि के सापेक्ष 65 पर्सेंट कम है, आईएमडी की भाषा में 60 पर्सेंट से 99 पर्सेंट कम वर्षा को “बड़ी कमी” अर्थात भयंकर सूखा की श्रेणी में माना जाता है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 243.5 (-68%) के मुकाबले मानसून मौसम के पहले तीन पखवाड़े के दौरान सिर्फ 77.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 187.1 मिलीमीटर (-59%) के सामान्य के मुकाबले 77.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण किसानों की खरीफ के धान की फसल की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण उनके समक्ष धान के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बारिश ना होने से सूखे के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय अध्ययन दल की टीम को भेजने की मांग करता हूँ, जिससे केंद्रीय अध्ययन दल किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर के उन्हें उचित मुआवज़ा दिलाने का कार्य सुनिश्चित करे।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन और सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

महोदय, मूक बधिरों एवं दिव्यांगजनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था प्रदेश एवं देश में नही है जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते एवं लाचारी के कारण बेहतर जिंदगी को तरसते हैं।... (व्यवधान) प्रदेश में दिव्यांगजनों की ऐसी दशा को देखते हुए मैंने माननीय मंत्री जी से आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना कराए जाने हेतु आग्रह किया था।... (व्यवधान) मेरे आग्रह के पूर्व से उक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जनपद कानपुर नगर में 12वीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एण्ड हियरिंग सेण्टर की स्थापना हेतु 20 एकड़ नि:शुल्क भूमि की मांग की गयी थी, जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम सुरार में 20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी थी।... (व्यवधान) तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर, ने उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ को अवगत कराया किन्तु उक्त प्रकरण में प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुनः अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुरोध किया, जिस पर कार्यवाही कर तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा भूमि स्थानांतरित किये जाने हेतु स्पष्टीकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13.03.2018 को अपने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है एवं औपचारिकताओं के सम्बन्ध में उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी कानपुर को अपने पत्र दिनांक 30.08.2018 के माध्यम से आदेशित किया था जिस पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर एवं रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को अपने पत्र दिनांक 11.01.2019 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है।... (व्यवधान) तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में कार्यवाही अत्यधिक धीमी गति से होने के कारण लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया जिसके चलते उक्त ऑफ कैम्पस सेण्टर की

निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण उत्तर प्रदेश के मूक बधिरों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।... (व्यवधान) कुपोषण एवं अन्य परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के मूक-बधिरों की भारी संख्या को देखते हुए केन्द्र की स्थापना की महती आवश्यकता है।... (व्यवधान)

अतः आपसे निवेदन है केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को उक्त संस्थान की स्थापना एवं निर्माण अति शीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश निर्गत करने की कृपा करें जिससे जनहित में मूक बधिरो एव दिव्यांगजनों को राहत मिल सके।... (व्यवधान)

(पंद्रह) पूर्व तटीय नहर का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

***श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर):** अकाल के समय ओडिशा और बंगाल के दूरदराज के गांवों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने पूर्वी तट नहर खोदी थी। ... (*व्यवधान*) आसपास के गांवों के लोग कृषि उत्पादों, खाद्य उत्पादों और अन्य दैनिक ज़रूरतों के परिवहन से लाभान्वित हो रहे थे। इसने कई वर्षों तक लोगों की जीवन रेखा के रूप में काम किया है। ... (*व्यवधान*) लोग इसका इस्तेमाल सिंचाई, कृषि, मछली उत्पादन और व्यापार के लिए करते रहे हैं। भारी बारिश के दौरान बारिश का पानी इसी नहर के द्वारा निकाला जाता है। ... (*व्यवधान*) गर्मियों में इस नहर से रबी की फसलों की सिंचाई की जा सकेगी। भारत सरकार ने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रीय जलमार्ग-5 घोषित किया है। ... (*व्यवधान*) परिणामस्वरूप लोग इसके कायाकल्प को लेकर आशावादी हो गये। परंतु धीरे-धीरे इसकी हालत निंदनीय हो गई। कुल 623 किलोमीटर में से 532 किलोमीटर ओडिशा में और बाकी बंगाल में बहती है। यह बालेश्वर और भद्रक सहित ओडिशा के 8 जिलों से होकर गुजरती है। .... (*व्यवधान*) अब इसके अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो जाने से जल का बहाव अवरुद्ध हो गया है। बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाने की वजह से किसानों और मवेशियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है नहरों की सही से देखभाल न होने की वजह से उसमें जंगली घास और कीचड़ हो गया है, जिसके कारण पाइप अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। ... (*व्यवधान*) मैं इसके पुनरुद्धार के लिए संबंधित माननीय मंत्री जी को भी बार-बार लिखता रहा हूँ। कई लोग और संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) इसके पुन: स्थापित होने से तटीय ओडिशा के लोगों को लाभ हुआ। इस नहर के पुनरुद्धार के बाद अनाज, पान, मछली, कोयला, पत्थर, खाद्य पदार्थ और अन्य सामान कम लागत पर लाया ले जाया जा सकेगा। सड़क पर भीड़ कम होगी, मछुआरों को फायदा होगा और बाढ़ के पानी की निकासी आसानी से होगी. ... (*व्यवधान*) सिंचाई से किसानों को लाभ होगा। मैं आपके द्वारा सरकार से अपील कर रहा हूँ कि इसे जल्द पुन: स्थापित किया जाए। ... (*व्यवधान*)

---

* मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपने उड़िया का नोटिस नहीं दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सारंगी जी, आपने उड़िया में बोलने का नोटिस नहीं दिया है। आपका जो पाठ है, वह अंग्रेजी में है। यह अंग्रेजी में है। इसलिए, आपका उड़िया पाठ अंग्रेजी में नहीं जा सकता। [अनुवाद] उस संबंध में, आपने कोई सूचना नहीं दी है। कृपया इसे केवल अंग्रेजी में ही पढ़ें।

… (*व्यवधान*)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी: मैंने उड़िया में सूचना दी है। [हिन्दी] हमने उड़िया का नोटिस दिया है।... (व्यवधान) मैंने नोटिस उड़िया के लिए दिया है। कल ही मैंने इसे लिखकर दिया है।... (व्यवधान)[अनुवाद] मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने इसका नोटिस उड़िया में दिया है।

(सोलह) कोल ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के बारे में

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी (भोंगीर): महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य और केंद्र सरकारें कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए माइन डेवलपर और ऑपरेटर (एम.डी.ओ) के चयन के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रही हैं और अन्य प्रक्रियाओं का पालन भी कर रही हैं।

इस संबंध में, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि तेलंगाना में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड सहित सरकार कथित तौर पर कोल इंडिया के मानदंडों के अनुसार जेवी पर विचार किए बिना विभिन्न एमडीओ की पेशकश कर रही है और इस तरह उच्च दरों पर आवंटन कर रही है, जिससे सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भारी नुकसान हो रहा है। कथित तौर पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों/नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे बचा जाना चाहिए।

अत:, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित अधिकारियों को राष्ट्र के हित में कोयला ब्लॉकों के आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन करने और सरकार के खजाने की रक्षा करने के लिए आवश्यक निर्देश दें।

(सत्रह) थल सेना की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): सभापति महोदय, भारतीय सेना में हर वर्ष लाखों युवा नौकरी के लिए आवेदन देते है और रक्षा मंत्रालय हर वर्ष 90-100 रैलियां भर्ती के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के युवा थल सेना जनरल ड्यूटी जिसके लिए आयु सीमा 17 से 21.5 वर्ष है और ट्रेडसमैन जिसके लिए आयु सीमा 17 से 23.5 वर्ष है, के लिए आवेदन देते है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण भर्ती रैलियां पिछले दो वर्षों से बंद है जिसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के युवाओं की उम्र निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा हो गई है और वो भर्ती के लिए योग्य नहीं है। वायुसेना और नौसेना द्वारा भी 2021 में एक बार आयु में छूट दिया गया था, इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे युवा जो कोरोना महामारी के कारण पिछले २ वर्षों में आयु सीमा से अधिक हो गए हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा 2 साल की आयु में छूट भारतीय सेना में इस वर्ष होने वाली भर्ती में दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में 81000 पद सेना में रिक्त हैं और सीमाओं पर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने सैन्य बलों में सिपाहियों की आवश्यकता है।

(अठारह) बिहार में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं कार्य दिवसों में वृद्धि करने के बारे में

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान मनरेगा में काम का दिन बढ़ाने के लिए आकृष्ट करना चाहता हूँ। देश में कोरोनाकाल से मजदूरों का ग्रामीण इलाकों में जीविका का एकमात्र यही साधन रह गया है। कोरोनाकाल में तो मनरेगा में मजदूरों को सही रूप से काम मिल रहा था, किन्तु अब करीब एक वर्ष से औसतन 28-30 दिन ही काम दिया जा रहा है। इस मंहगाई में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। जो मजदूर शहरों से पलायन कर अपने गाँव की ओर चले गये उनका हाल तो और भी दयनीय है। मंहगाई के कारण ग्रामीण इलाकों में कोई और काम भी नहीं हो रहा है। निर्माण क्षेत्र ठप पड़ा है। कृषि का भी बुरा हाल है। ऊपर से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मनरेगा की राशि में भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्यों का साल दर साल बकाया बाधित है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार राज्य देश में सर्वाधिक भूमिहीन श्रमिकों वाला राज्य है। यह संख्या करीब 88.61 लाख है। इनको मनरेगा के तहत लगातार 100 दिनों का काम गारंटी के साथ मिलना चाहिए, किन्तु वित्तीय अभाव के कारण मात्र औसतन 28 दिनों का ही काम मिल रहा है। साथ ही बिहार में मनरेगा के तहत हरियाणा की तरह ही 300 रू. से अधिक मजदूरी तय करने की आवश्यकता है। अभी बिहार में मात्र 12 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले 198 रू. तय था और मई, 2022 से 212 रू. मिलना प्रारम्भ हुआ है। अन्य राज्यों में केन्द्र सरकार ने 7 प्रतिशत की वृद्धि की है। बिहार सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह करती आ रही है। यह माँग अविलम्ब स्वीकार होनी चाहिए और बिहार की लम्बित राशि का भुगतान होना चाहिए, साथ ही सभी मजदूरों को 100 दिनों का काम सुनिश्चित होना चाहिए। धन्यवाद।

(उन्नीस) भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती मंजुलता मंडल (भद्रक): महोदय, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भद्रक और बालासोर जिले में भारतमाला परियोजना के अधीन तटीय राजमार्ग के लिए पहल की है, जो लगभग 70 किलोमीटर की तटरेखा को कवर करता है।

प्रस्तावित परियोजना के संबंध में कृपया निम्नलिखित विवरण दिए जाएं:

(क) कुल परियोजना लागत, परियोजना व्यय और परियोजना की समय सीमा।

(ख) प्रस्तावित परियोजना में भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानचित्र के साथ गांववार कवर किए गए क्षेत्र का ब्यौरा, जो कि खुर्दा जिले के तांगी के पास एन.एच -16 से दीघा तक है और दो हिस्सों में विकसित किया गया है जो तांगी-रतनपुर और, रतनपुर-दीघा और बासुदेवपुर, धमरा और चांदीपुर को भी कवर करता है।

(ग) मेरे निर्वाचन क्षेत्र में परियोजना की वर्तमान स्थिति और इसके प्रारंभ होने की समयसीमा के साथ परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की योजना का ब्यौरा। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: शेष माननीय सदस्य नियम 377* का अपना नोटिस सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

… (व्यवधान)

* सभा पटल पर रखे माने गये।

(बीस) बिहार में कोरोना के कारण हुई मौतों के बारे में

श्री चन्दन सिंह (नवादा): मेरा सरकार से निवेदन है कि मुझे निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान की जाये :-

1. अभी तक कोरोना संक्रमण से बिहार राज्य के कितने नागरिकों की मृत्यु हुई है, यदि इसका कोई डाटा है तो सूचित किया जाये।
2. क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान किया है जिसमे बिहार के निवासियों की यदि प्रदेश से बाहर कोरोना से मृत्यु हुई है तो उन्हें मुआवजा बिहार सरकार की ओर से दिया जायेगा?
3. यदि ऐसा नहीं है तो इन्हें जो कि सरकार द्वारा 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जानी है, कैसे मिलेगी?

(इक्कीस) अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. ए. चेल्लाकुमार (कृष्णागिरी): वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 10.72 लाख करोड़ रूपए के अशोध्य ऋण माफ किए हैं। लेकिन बैंकों ने अभी तक इस बात का ब्यौरा नहीं दिया है कि किसे और कितनी रकम को अशोध्य ऋण घोषित कर बट्टे खाते में डाला गया है। एक ओर, बैंक विभिन्न तरीकों से जनता से पैसा वसूल रहे हैं,, जैसे ब्याज, ब्याज का भुगतान न करने पर जुर्माना, सेवा शुल्क, न्यूनतम शेष न रखने पर जुर्माना, ए.टी.एम उपयोग शुल्क और अब चेक और उच्च प्रोसेसिंग शुल्क के लिए भारी जी.एस.टी, दूसरी ओर, बैंक कुछ निजी कॉरपोरेट्स को अशोध्य ऋण के नाम पर लाखों करोड़ रुपये माफ कर देते हैं। यह इस देश के नागरिकों के साथ क्रूर व्यवहार है। इस तरह के ऋण माफ़ी के लाभार्थियों के नाम छिपाना और कुछ कॉरपोरेटों को ऋण माफ़ी के नाम पर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का अप्रत्यक्ष तरीके से दुरुपयोग करना कई तरह के संदेह पैदा करता है। भारत के लोगों के पास इन राइट-ऑफ के बारे में तथ्यों को जानने का कानूनी अधिकार और स्वतंत्रता है। सही समय पर ऋण राशि नहीं चुकाने पर बैंक निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की मेहनत से कमाई गई संपत्ति जबरन छीन रहे हैं। करोड़ों किसानों ने सालों-साल बार-बार सरकार का दरवाजा खटखटाया है।

(बाईस) नेमोम कोचिंग /सैटेलाइट टर्मिनल परियोजना के बारे में

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): मैं माननीय रेल मंत्री जी के सामने मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूवनन्तपुरम में नेमोम कोचिंग/सैटेलाइट टर्मिनल परियोजना को बंद करने के रेलवे बोर्ड के चौंकाने वाले फैसले का मुद्दा उठाना चाहूँगा, जो कि त्रिवेन्द्रम सेंट्रल स्टेशन की भीड़-भाड़ कम करने और कार्यात्मक विस्तार और कोचुवेली स्टेशन के विकास के लिए आवश्यक है।

यद्यपि 2011-12 के रेलवे बजट में उद्घोषित की गई थी, लेकिन नेमोम परियोजना को रेलवे की कार्य योजना में शामिल करना और पूर्व माननीय रेल मंत्री जी द्वारा इसकी आधारशिला 2018-19 में ही रखी गई। 2019-20, में लगभग 117 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को सौंपी गई। संसद के अंदर और बाहर कई हस्तक्षेपों के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

दुर्भाग्य से, नेमोम टर्मिनल पर काम आगे नहीं बढ़ाने का हाल ही में लिया निर्णय अनावश्यक है क्योंकि घोषणा ज्ञापन में टर्मिनल को सिर्फ "अन्यायोचित्त" बताया गया है, लेकिन परियोजना को छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

इसलिए, मैं सरकार से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और नेमन कोचिंग टर्मिनल के विकास कार्यों में तेजी लाए ताकि वे - शिलान्यास समारोह में पूर्व माननीय रेल मंत्री के शब्दों में - "पहले से ही अतिभारित मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ कम करने" में योगदान दे सकें।

(तेईस) मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (सतारा): मराठी भाषा को "अभिजात भाषा" घोषित करने की माँग पिछले कई सालों से हो रही है | मराठी अभिजात भाषा का दर्जा पाने की सभी अर्हताओं को पूरा करती है लेकिन यह मुद्दा केंद्र के संस्कृति विभाग में प्रलंबित पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा गठित भाषा विशेषज्ञ समिति ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नही लिया। मेरी सरकार से विनंती है कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा घोषित करने हेतु जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए।

———

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्य निरंतर प्लेकार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं, जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस संबंध में आपको चेतावनी दी थी। मैं उसको दोहरा रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : चेयर के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वह आपका नाम 'नेम' करे। आप कृपा करके इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के प्लेकार्ड न दिखायें।

… (व्यवधान)

अपराह्न 3.48 बजे

नियम 374(2) के अंतर्गत सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन

[हिन्दी]

माननीय सभापति : मैं नियम 374 के अंतर्गत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं :-

श्री बी. मणिक्कम टैगोर

श्री टी. एन. प्रथापन

सुश्री एस. जोतिमणि

कुमारी राम्या हरिदास

… (व्यवधान)

अपराह्न 3.49 बजे

सदस्यों के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री टी.एन. प्रथापन, सुश्री एस. जोतिमणि और सुश्री राम्या हरिदास के कदाचार तथा सभा और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार का अनादर किए जाने को गंभीरता से लेते हुए तथा अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर संकल्प करती है कि श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री टी.एन. प्रथापन, सुश्री एस. जोतिमणि और सुश्री राम्या हरिदास को नियम 374 (2) के अंतर्गत सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए ।''

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु जो प्रस्ताव पेश किया है, अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री टी.एन. प्रथापन, सुश्री एस. जोतिमणि और सुश्री राम्या हरिदास के कदाचार तथा सभा और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार का अनादर किए जाने को गंभीरता से लेते हुए तथा अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर संकल्प करती है कि श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री टी.एन. प्रथापन, सुश्री एस. जोतिमणि और सुश्री राम्या हरिदास को नियम 374 (2) के अंतर्गत सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए ।''...(व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे कृपया सभा के परिसर से तत्काल बाहर चले जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 3.51 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार 26 जुलाई, 2022 / 4 श्रावण, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित